न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री रणछोड लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन सं. 94 / 2025
अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान

प्रार्थीगण – 1. दाबूद उर्फ मीनाखान पुत्र अदरूप सिंधी मुसलमान निवासी बूठ राठौड़ान तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण – 1. सरकार जरिये तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – श्री बलदेवसिंह राठौड
विप्रार्थी – राज पेरोकार एकतरफा

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 27.03.2026

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि मौजा बूठ राठौड़ान, तहसील चौहटन में खसरा संख्या 373 रकबा 4.8643 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है। उक्त खेत में प्रार्थी का नाम मीनाखान के स्थान पर दाबूद राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया। प्रार्थी का वास्तविक नाम मीनाखान है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार, परिचय पत्र में प्रार्थी का नाम मीनाखान है, जबकि राजस्व रेकर्ड मे नाम दाबूद है जो कि अशुद्ध होने के कारण प्रार्थी अपना मौजा बूठ राठौड़ान तहसील चौहटन के खसरा संख्या 373 रकबा 4.8643 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में नाम दाबूद पुत्र अदरूफ के स्थान पर मीनाखान पुत्र अदरूफ राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाना चाहते है। जिसे शुद्ध करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम का पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिये नोटिस से भेजे गये। तथा प्रकरण में तहसीलदार चौहटन से नाम दुरस्ती की रिपोर्ट मंगवाई गई। प्रार्थी के नाम

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दुरस्ती की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट व विप्रार्थी की तामिली रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रकरण में तहसीलदार चौहटन द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी मौजा बूठ राठौड़ान के खसरा संख्या 373 रकबा 4.8643 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम दावूद पुत्र अदरूफ खान के स्थान पर मीनाखान पुत्र अदरूफ खान दुरूस्त किया जाने बाबत् अनुशंषा की गई है।

तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी अधिवक्ता बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गहराई से अध्ययन अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने योग्य है।

अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर तहसील चौहटन, मौजा बूठ राठौड़ान के खसरा संख्या 373 रकबा 4.8643 हैक्टेयर में दर्ज दावूद पुत्र अदरूफ के स्थान पर मीनाखान पुत्र अदरूफ नाम दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन